Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

# नारीवाद के परिपेक्ष मे महिला आंदोलन का वर्तमान दृष्टिकोण

**सुमित्रा**
(अतिथि व्याख्याता) विभाग राजनीति विज्ञान, डॉ.भंवर सिंह पोर्ते शासकीय महाविद्यालय पेंड्रा छत्तीसगढ़

**सार**
नारीवाद एक प्रगतिशील विचारधारा एवं आंदोलन है, इसका प्रमुख प्रयोजन महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार, सामाजिक सम्मान एवं सहभागिता प्राप्त कराना तथा पितृसत्तात्मक संरचना को प्रश्नांकित करना है। इस विचार का आरंभ पश्चिमी जगत में उन्नीसवीं एवं बीसवीं सदी में मुख्यतः मतदान, शिक्षा तथा रोजगार के अधिकार जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ हुआ तथा कालांतर में विभिन्न राष्ट्रों की सामाजिक व सांस्कृतिक संरचना एवं महिलाओं की स्थिति के आधार पर विकसित हुआ। महिलाओं की दयनीय स्थिति के कारणों एवं समाधान को विभिन्न धाराओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से तीन धाराएँ- उदारवादी नारीवाद, मूल परिवर्तनवादी नारीवाद तथा समाजवादी नारीवाद सम्मिलित हैं। भारत में नारीवाद का विकास मुख्य रूप से सामाजिक सुधार से संबंधित रहा है, जिसमें अनेक समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एनी बेसेंट इत्यादि ने बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह जैसी कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष किया। स्वतंत्रता पश्चात भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को समानता एवं शिक्षा का कानूनी आधार सुनिश्चित किया गया। समकालीन समाज में नारीवाद के अंतर्गत लैंगिक न्याय, समान वेतन, राजनीतिक भागीदारी जैसे अन्य विषय सम्मिलित हैं, जिसका उद्देश्य स्त्री व पुरुष के परस्पर सहयोग से न्याय तथा समानता पर आधारित एक स्वस्थ मानवीय समाज का निर्माण करना है जहाँ दोनों को एक समान अधिकार, गरिमापूर्ण सहभागिता एवं सक्रिय नागरिक के रूप में सामाजिक भागीदारी प्राप्त हो।

**शब्द कोश**- नारीवाद , महिला आन्दोलन , लैंगिक समानता , महिला सशक्तिकरण , पितृसत्ता , महिला अधिकार

## नारी वाद का ऐतिहासिक विकास

पश्चिमी इतिहास में अधिकांश भाग में महिलाओं को घरेलू दायरे तक ही सीमित रखा गया था, जबकि सार्वजनिक जीवन पुरुषों के लिए आरक्षित था मध्य युगीन यूरोपी में महिलाओं को सम्मति रखने, अध्ययन करने या सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के अधिकार से वन चित रखा गया था। 19वी शताब्दी के अन्त में फ्रान्स में,उन्हे सार्वजनिक स्थानो पर सिर ढकने के लिए बाध्य किया जाता था, और जर्मनी के कुछ हिस्सों में, पति को अपनी पत्नी को बेचने का अधिकार था।

20वीं शताब्दी के आरंभ तक भी, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में (जहां कई क्षेत्रों और राज्यों ने संघीय सरकार से बहुत पहले महिलाओं के मताधिकार प्रदान किया था) महिलाएं न तो मतदान कर सकती थीं और न ही निर्वाचित पदों पर आसीन हो सकती थीं। महिलाओं को पुरुष

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

प्रतिनिधि के बिना व्यवसाय करने से रोका गया था, चाहे वह पिता,भाई,पति,कानूनी एजेंट या यहां तक कि पुत्र ही क्यों न हो। उन्हें शिक्षा से भी वंचित रखा गया था । विवाहित महिलाएं अपने पति की अनुमति के बिना अपने बच्चों पर नियंत्रण नहीं रख सकती थीं। दुनिया के कुछ हिस्सो में महिलाओं पर इस तरह के प्रतिबंध आज भी जारी हैं। इस तरह के सीमित स्थिति के खिलाफ शुरुआती संगठित विरोध के बहुत कम देखने को मिलते हैं। छिटपुट आवाजें उठाती रही जो आने वाले विवादों का पूर्वाभास थीं।

15वीं शताब्दी के आरंभिक फ्रांस में पहली नारीवादी दार्शनिक क्रिस्टिन डी पिसान ने महिला शिक्षा के लिए एक साहसिक आह्वान करके महिलाओं के प्रति प्रचलित दृष्टिकोणों को चुनौती दी। इनके बाद एक वेनिस महिला लौरा सेरेटा जिन्होंने नीजी पत्र एपिस्टोले फैमिलियारेस 1488 ( पुनर्जागरण नारिवादी के एकत्रित पत्र ) प्रकाशित किया था । इसमे महिलओं की शिकायतों का एक विस्तृत सुची है , जिसमे शिक्षा से वंचित करना और वैवाहिक उत्पीड़न से लेकर महिलाओं के पहनावे की तुच्छता तक शामिल है । इस समय तक एक भी आवाजें सुसंगत दर्शन में तब्दील नहीं हुआ |

एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में नारीवाद 20वीं शताब्दी की देन है। महिला आंदोलन और उससे जुड़ा स्त्री मुक्ति का प्रश्न भी एक आधुनिक परिघटना है। संगठित नारीवादी आंदोलन की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुई जब स्त्रियों द्वारा समस्त राजनीतिक एवं सार्वजनिक कार्यवाहियों में खुल कर हिस्सा लिया गया । इसके परिणामस्वरूप स्त्रियों की कानूनी स्थिति में कई महत्त्वपूर्ण बदलाव लाए गए जैसे- 1791 के कानून द्वारा स्त्री शिक्षा का प्रावधान, 1792 में स्त्रियों को नागरिक अधिकार प्रदान किये गए तथा 1794 के कानून द्वारा तलाक की प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया। अमेरिका में 1840 के दशक में एक लोकप्रिय सेनेका फॉल्स कन्वेंशन हुआ जिससे अमेरिका की स्त्रियों के अधिकारों के आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। इसी प्रकार 1869 में स्त्रियों को वोट देने के अधिकार के एक राष्ट्रीय एसोसिएशन की स्थापना हुई। ऐसे संगठन धीरे-धीरे यूरोप में भी बनने लगे। सभी विकसित देशों से यह मांग उठने लगी कि स्त्रियों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। इसमें पहली सफलता 1893 में न्यूजीलैंड में मिली। अमेरिका में 1920 में स्त्रियों को मतदान का अवसर मिला। 1970 के दशक में नारीवाद ने अपने आपको एक विचारधारा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया और 1990 के दशक में यह पूर्ण रूप से एक विचारधारा के रूप में स्थापित हुई। नारीवाद के विचार को 'न्यूयॉर्क रेड स्टॉकिंग्स घोषणा पत्र, 1969' के द्वारा सशक्त अभिव्यक्ति मिली। इसमें उल्लिखित किया गया कि, "स्त्रियाँ एक उत्पीड़ित वर्ग हैं। स्त्रियों का उत्पीड़न सर्वव्यापक है जो स्त्रियों के जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है।" 21वीं शताब्दी के आरंभ में इस विचारधारा में कई प्रभावशाली परिवर्तन हुए। आज नारीवाद एक बहुआयामी और प्रभावकारी विचारधारा है जिसने न सिर्फ अकादमिक जगत में बल्कि व्यवहारिक रुप से सामाजिक परिवर्तन का भी कार्य किया है |

**नारीवाद के चरण –**

1.पहला चरण(1850-1915)-यह मुख्यत राजनीतिक और कानूनी समानता पर केन्दित था। जिसमें महिलओं को मत देने का अधिकार ,संपत्ति का अधिकार ,शिक्षा का अधिकार शामिल थे ।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

2.दूसरा चरण(1915-1947)-यह सामाजिक सांस्कृतिक और व्यक्तिगत जीवन में समानता केन्दित था। सर्मथक सिमोन द बोवुआर की किताब 'द सेकेंड सेक्स और बेट्टी फ्रीडन की 'द फेमिनिन मिस्टिक ने इस दौर में वैचारिक क्राति ला दी ।

3.तीसरा चरण(1947-2010)-इसमें नस्ल ,जाति ,वर्ग और लैंगिक पहचान की विविधता को शामिल किया गया साथ ही रूढिवादिता को चुनौती देना और यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना ।

4. चौथा चरण(2010-वर्तमान तक)-सोशल मीडिया का उपयोग करके आंदोलनों को वैश्विक बनना।

**महिला आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य (Objectives)**

वर्तमान नारीवादी आंदोलन के मुख्य उद्देश्य केवल कागजी अधिकारों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनका लक्ष्य समाज की जड़ से मानसिकता को बदलना है:

- **आर्थिक समानता और अधिकारों की पहचान:** समान काम के लिए समान वेतन (Equal Pay), कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल, और सबसे महत्वपूर्ण—महिलाओं द्वारा घर में किए जाने वाले **अवैतनिक कार्य (Unpaid Care Work)** को आर्थिक और सामाजिक मान्यता दिलाना।
- **शारीरिक और प्रजनन स्वायत्तता (Bodily Autonomy):** महिलाओं का अपने शरीर पर पूरा अधिकार होना। इसमें सुरक्षित गर्भपात का अधिकार, बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं और अपनी मर्जी से शादी या बच्चे पैदा करने का निर्णय शामिल है।
- **जेंडर आधारित हिंसा का खात्मा:** घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, बलात्कार और साइबर बुलिंग के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और सुरक्षित सामाजिक वातावरण का निर्माण।
- **सत्ता और नीति-निर्माण में समान भागीदारी:** संसद, न्यायपालिका, कॉर्पोरेट बोर्ड और मीडिया में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व (Equal Representation) को सुनिश्चित करना, ताकि नीतियां महिलाओं के नजरिए से भी बन सकें।

**3. महिला आंदोलन की मूल परिकल्पना (Hypothesis / Concept)**

परिकल्पना वह सैद्धांतिक आधार है जिस पर पूरा नारीवादी आंदोलन खड़ा है। इसकी मुख्य परिकल्पनाएं इस प्रकार हैं:

- **"जेंडर एक सामाजिक निर्माण है" (Gender is a Social Construct):** नारीवाद की सबसे बड़ी परिकल्पना यह है कि प्रकृति ने केवल 'सेक्स' (जैविक अंतर) बनाया है, लेकिन 'जेंडर' (पुरुष और महिला की भूमिकाएं) समाज ने तय की हैं। महिलाएं कमजोर होती हैं या उन्हें केवल घर संभालना चाहिए—यह कोई प्राकृतिक नियम नहीं, बल्कि समाज द्वारा थोपी गई एक व्यवस्था है।
- **पितृसत्तात्मक संरचना (Patriarchal Structure):** समाज की पूरी व्यवस्था पितृसत्तात्मक है, जहाँ सत्ता, संपत्ति और निर्णय लेने के अधिकार मुख्य रूप से पुरुषों के पास केंद्रित हैं। इस व्यवस्था को तोड़े बिना सच्ची समानता नहीं आ सकती।
- **"व्यक्तिगत ही राजनीतिक है" (The Personal is Political):** महिलाओं के निजी जीवन (घर की चारदीवारी, वैवाहिक जीवन, बच्चे पैदा करना) में होने वाले भेदभाव केवल उनके 'निजी' या 'पारिवारिक' मामले नहीं हैं, बल्कि यह एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक शोषण का हिस्सा हैं।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

- **सामूहिक मुक्ति (Collective Liberation):** नारीवाद की अंतिम परिकल्पना यह है कि जेंडर समानता केवल महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए फायदेमंद है। पितृसत्ता पुरुषों पर भी "मर्दानगी" का दबाव डालती है। महिलाओं की मुक्ति से अंततः एक स्वस्थ, संतुलित और अधिक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होगा।

**नारीवादी की मुख्य धाराएँ-**

नारीवादी आंदोलन के अंतर्गत अनेक प्रकार के विचार और कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। स्त्रियों की असमानता, दमन और अधीनता के कारणों, प्रकारों और समाधानों के बारे में नारीवादियों की अलग-अलग राय है। मुख्य रूप से नारीवाद को तीन धाराओं में बाँटकर देखा जा सकता है- उदारवादी नारीवाद, आमूलपरिवर्तनवादी नारीवाद एवं समाजवादी नारीवाद

**1. उदारवादी नारीवाद-** उदार नारीवाद, नारीवाद से जुड़ी आरंभिक विचारधारा है जो उदारवाद से जुड़ी मान्यताओं के आधार पर स्त्रियों के अधिकारों की वकालत करती है। यह विचारधारा क्रांति के विपरीत क्रमिक और कानूनी सुधार का समर्थन करती है। इससे जुड़े विचारक सार्वजनिक क्षेत्र में समानता का समर्थन करते हैं। एक प्रकार से यह सुधारवादी आंदोलन है। मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट, जे. एस. मिल, बेट्टी फ्रीडन, कैरोल पेटमैन प्रमुख उदारवादी नारीवादी विचारक हैं। 18 वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट ने अपनी चर्चित कृति 'विंडीकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन'(1792) में सामाजिक ढाँचे की आलोचना करते हुए कहा कि स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा गया है और वे सार्वजनिक जीवन में भी अनुपस्थित हैं। अतः स्त्रियों को विवेकशील प्राणी मानते हुए स्त्री-पुरुष में बुनियादी समानता स्थापित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिये। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जॉन स्टूअर्ट मिल ने अपनी रचना 'सब्जेक्शन ऑफ वीमेन' (1869) के अंतर्गत भी स्त्री अधिकारों का समर्थन किया। मिल ने कहा कि स्त्री-पुरुष का संबंध आधिपत्य के बजाय साहचर्य पर आधारित होना चाहिये। उसने स्त्रियों की शिक्षा, नागरिकता तथा संपत्ति में अधिकार की वकालत की। बेट्टी फ्रीडन जिन्हें 'महिला मुक्त की जन्मदाता' भी कहा जाता है ने अपनी रचना 'द फेमिनिन मिस्टीक'(1963) में कहा कि स्त्रियों को भी स्वायत्तता और आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिये।

**2. आमूलपरिवर्तनवादी नारीवाद-** आमूल परिवर्तनवादी या उत्कट नारीवादी विचारधारा की शुरुआत मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुई। यह विचारधारा सामाजिक व्यवस्था की यथास्थिति में आमूल परिवर्तन की मांग करती है। यह विचारधारा निजी जीवन में समानता की समर्थक है। इस धारा की प्रमुख विचारक सिमोन द बुआ , शुलामिथ फायरस्टोन, केट मिलेट, वर्जीनिया वूल्फ, एलस्टीन, आयरिश मेरियम यंग हैं।

फ्रांसीसी नारीवादी लेखिका सिमोन द बुआ ने अपनी चर्चित कृति 'द सेकंड सेक्स' (1949) में कहा कि," स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि उसे ऐसा बना दिया जाता है"(" A woman is not born but made") सिमोन ने कहा कि पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को 'द्वितीय लिंग' का दर्जा दिया जाता है।

वर्जीनिया वूल्फ ने महिलाओं की पराधीन स्थिति को देखते हुए कहा कि,"महिला होने के नाते मेरा कोई देश नहीं है।" फायरस्टोन ने अपनी चर्चित कृति 'डायलेक्टिक आफ सेक्स'(1970) के अंतर्गत नारीवाद

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

की नई व्याख्या देकर इससे जुड़े आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने तकनीकी के विकास को स्त्री मुक्ति का साधन बताया। केट मिलेट ने अपनी पुस्तक 'सेक्सुअल पॉलिटिक्स'(1970) के अंतर्गत बताया कि नारीवाद को एक राजनीतिक आंदोलन का रूप देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्त्री-पुरुष का संबंध प्राकृतिक न होकर राजनीतिक है। उन्होंने कहा कि स्त्री पर पुरुष का जो नियंत्रण है वह जीव वैज्ञानिक अंतर की देन नहीं बल्कि सामाजिक संरचना का परिणाम है । केट मिलेट की उपर्युक्त पुस्तक अमेरिका में नारी मुक्ति आंदोलन को बढ़ावा देने में विशेष रूप से उपयोगी साबित हुई।

**3. समाजवादी नारीवाद-** समाजवादी नारीवादी विचारधारा समाजवाद से जुड़ी मान्यताओं को आधार बनाकर महिलाओं के उत्थान का समर्थन करती है। समाजवादी नारीवादी यह नहीं मानते कि स्त्रियों की समस्या राजनीतिक और कानूनी रूप से समाप्त हो सकती है। उनके अनुसार स्त्री-पुरुष की असमानता का मूल कारण सामाजिक-आर्थिक संरचना है जो एक सामाजिक क्रांति के द्वारा ही समाप्त की जा सकती है। समाजवादी नारीवादी मुख्य रूप से पूंजीवादी व्यवस्था को स्त्रियों के शोषण का कारण मानते हैं। इस धारा के प्रमुख विचारक चार्ल्स फ्यूरिए, फ्रेडरिक एंगेल्स और शीला रोबाथम हैं।

फ्रेडरिक एंगेल्स का मानना है कि स्त्रियों का दमन परिवार की संस्था से आरंभ होता है क्योंकि बुर्जुआ परिवार की संरचना पितृसत्तात्मक होती है। फ्रेडरिक एंगेल्स ने अपनी पुस्तक 'द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट'(1884) में यह तर्क दिया कि समाजवाद के आगमन से निजी संपत्ति का अंत हो जाएगा जिससे स्त्रियों को गृह कार्य के भार से मुक्ति मिल जाएगी और समानता स्थापित होगी।

**भारत में नारीवाद-**

ऐतिहासिक कारण: भारतीय सामाजिक संरचना, उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के कारण भारत का नारीवादी आंदोलन पश्चिम से भिन्न है। भारत का नारीवादी आंदोलन 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है। भारत में पहला नारीवादी आंदोलन समाज में विद्यमान अंधविश्वासों रूढ़ परंपराओं जैसे- सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा आदि को समाप्त करने के उद्देश्य पर केंद्रित था। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले , सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, ताराबाई शिंदे, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडिता रमाबाई, सर सैय्यद अहमद खान आदि विचारकों और समाज सुधारकों ने महिलाओं से जुड़े हुए प्रश्नों को प्रमुखता दी तथा विभिन्न संगठनों और कानूनी सुधार के माध्यम से स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और स्त्री अधिकार की दिशा में समर्पित प्रयास किया।

दूसरा चरण महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से जुड़ा हुआ है। इस दौर में महिलाएँ स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर श्रमिक आंदोलन में भी शामिल होने लगी। इस चरण में भारतीय महिला संघ(1917) जैसे विभिन्न संगठनों की स्थापना हुई और शारदा एक्ट (1929) जैसे कानूनी सुधार हुए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और डॉ. अंबेडकर के महिला उत्थान की दिशा में किए गए प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जहाँ महात्मा गाँधी ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, छुआछूत व विधवाओं के शोषण का मुखर विरोध किया वहीं डॉ. अंबेडकर ने कानूनी सुधार(प्रसूति अवकाश, मताधिकार) व संवैधानिक प्रावधानों(समानता का अधिकार और लैंगिक विभेद का अंत) के माध्यम से महिलाओं के

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

सशक्तिकरण की दिशा में व्यावहारिक प्रयास किया। इस दौर में प्रमुख नारीवादियों में कामिनी राय, सरला देवी चौधरानी, दुर्गाबाई देशमुख की भूमिका उल्लेखनीय रही है।

भारत में नारीवादी आंदोलन का तीसरा चरण आजादी के बाद सार्वजनिक और निजी जीवन में समानता से जुड़ा हुआ है। यह प्रमुख रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, शिक्षा तक पहुँच, संपत्ति में अधिकार तथा लैंगिक विभेद के अंत से जुड़ा हुआ है।

यदि हम वर्तमान में भारतीय नारीवादी विचारकों और आंदोलनकारियों की बात करें तो मेघना पंत, वृंदा करात, मधु किश्वर, मेधा पाटकर, गीता सहगल, वंदना शिवा, निवेदिता मेनन, नीरा देसाई, रूथ वनिता का नाम प्रमुख रूप से सामने आता है।

**नारीवाद की विशेषताऐ -**

**लैंगिक समानता:** "नारीवाद एक सामाजिक-राजनीतिक आंदोलन और विचारधारा है जो सभी लिंगों के लिए समान अधिकारों और अवसरों की वकालत करती है।", इसका मुख्य आधार स्त्री और पुरुष को समाज में एक समान दर्जा देना है।

**पितृसत्ता का विरोध:** नारीवादी विचारधारा समाज में पुरुष-प्रधान या पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देती है, जिसके कारण महिलाओं का शोषण और दमन होता है।

**समान अवसर और अधिकार:** "जीवन का प्रत्येक क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किए जाए।", इसके तहत शिक्षा, रोजगार, राजनीति और संपत्ति में महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की मांग की जाती है।

**लैंगिक भेदभाव की समाप्ति:** यह विचारधारा 'सेक्स' (जैविक अंतर) और 'जेंडर' (सामाजिक-सांस्कृतिक अंतर) के फर्क को समझती है और महिलाओं के खिलाफ होने वाले सामाजिक व घरेलू अन्याय को दूर करने का प्रयास करती है।

**व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मान:** महिलाओं को अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने की आज़ादी और समाज में एक सम्मानित जीवन जीने का अधिकार दिलाना नारीवाद का मुख्य लक्ष्य है।

**महिलाओं हेतु संयुक्त राष्ट्र का प्रयास**

लैंगिक असमानता को कम करने और सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए एक समान दुनिया बनाने के लिए कानून, संस्थानों ,सामाजिक मानदंडों और सेवाओं में बदलाव लाते हैं ।इस परिवर्तन के आधार पर चार क्षेत्रों में प्रगति कर रहें हैं-

1.नेतृत्व
2.आर्थिक सशक्तिकरण
3.हिसा से मुक्ति
4. शांति ,सरक्षा और मानवीय कारर्वाई।

वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का स्कोर 148 देशों में 131वें स्थान पर है ।

**यूएन चार्टर की प्रस्तावना (Preamble of the UN Charter, 1945):** इसमें "स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों" तथा मानवीय गरिमा में विश्वास व्यक्त किया गया है-

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

**अनुच्छेद 1 (Article 1):** इसमें नस्ल, भाषा, धर्म या **लिंग (Sex)** के भेद के बिना सभी के लिए मानवाधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रताओं के आदर को बढ़ावा देने का उद्देश्य तय किया गया है।
**अनुच्छेद 8 और 101 (Articles 8 & 101):** राष्ट्र संघ अपने अंगों में स्त्री और पुरुष दोनों को बिना किसी भेदभाव के समान शर्तों पर भाग लेने का अवसर प्रदान करता है।
अन्य महत्वपूर्ण संधियां मे महिलाओं से संबंधित प्रावधान-
**सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा-पत्र (UDHR, 1948):** इसके अनुच्छेद 2 में लिंग आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है और अनुच्छेद 16 में विवाह व तलाक के मामलों में समान अधिकार दिए गए हैं।
**सीडॉक (CEDAW, 1979):** इसे महिलाओं के अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय घोषणा-पत्र या चार्टर माना जाता है, जो महिलाओं के खिलाफ हर तरह के भेदभाव को खत्म करने की बात कहता है।
**बीजिंग घोषणा-पत्र (Beijing Declaration, 1995):** इसमें स्पष्ट रूप से घोषित किया गया कि **"महिला अधिकार ही मानवाधिकार हैं।"**
नारीवाद के प्रभाव
**कानूनी सुधार** : फेमिनिस्ट्स ने कई कानूनी बदलावों के लिए सफलतापूर्वक कैंपेन चलाया है, जैसे वोट देने का अधिकार, शिक्षा तक पहुंच और नौकरी के समान मौके। सेक्सुअल हैरेसमेंट, घरेलू हिंसा और काम की जगह पर भेदभाव से निपटने के लिए कानून बनाए गए हैं, जिससे महिलाओं को ज़्यादा सुरक्षा मिली है।
**कल्चरल बदलाव** : फेमिनिज़्म ने महिलाओं और जेंडर रोल्स के प्रति समाज के नज़रिए को बदल दिया है। पॉलिटिक्स, बिज़नेस और आर्ट्स में महिलाओं को ज़्यादा पहचान मिली है, और फेमिनिनिटी और मैस्कुलिनिटी की पारंपरिक सोच पर सवाल उठाए जा रहे हैं और उन्हें नए सिरे से बताया जा रहा है।
**जागरूकता में वृद्धि** : नारीवाद ने यौन हिंसा, प्रजनन अधिकार और कार्यस्थल भेदभाव जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाई है जैसे आंदोलनों ने यौन उत्पीड़न और हमले की व्यापकता की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिससे सहमति और उत्तरदायित्व के बारे में चल रही बातचीत को बढ़ावा मिला है।
**शिक्षा और काम तक पहुंच** : फेमिनिज्म ने महिलाओं के लिए उन फील्ड्स में आने का रास्ता बनाया है जिन पर पहले पुरुषों का दबदबा था। आज, महिलाएं साइंस, पॉलिटिक्स, बिजनेस और टेक्नोलॉजी में करियर बना रही हैं, और वे इन फील्ड्स में बराबर रिप्रेजेंटेशन और मौकों के लिए लड़ रही हैं।

**नारीवाद की चुनौतियां और भविष्य**

जबकि नारीवाद ने महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है, अभी भी कई चुनौतियों का समाधान करना बाकी है। लैंगिक असमानता कई क्षेत्रों में बनी हुई है, जिसमें लिंग वेतन अंतर, नेतृत्व के पदों में कम प्रतिनिधित्व और महिलाओं के खिलाफ व्यापक हिंसा शामिल है । इसके अतिरिक्त, आंदोलन अंतःक्रियाशीलता के मुद्दों से जूझना जारी रखता है, यह सुनिश्चित करता है कि हाशिए पर रहने वाली महिलाओं की आवाज़ सुनी जाए और उन्हें प्राथमिकता दी जाए।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, फेमिनिज़म शायद और बेहतर होता रहेगा, और जेंडर रिलेशन पर टेक्नोलॉजी के असर, ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकार, और कल्चरल और पॉलिटिकल विरोध के सामने महिलाओं के अधिकारों के लिए दुनिया भर में चल रही लड़ाई जैसी नई चुनौतियों का सामना करेगा। फेमिनिज़म का भविष्य इस बात में है कि वह सबको साथ लेकर चलने वाला, ढलने वाला और सभी जेंडर के लिए न्याय पाने पर फोकस करने वाला बना रहे।

**निष्कर्ष**

फेमिनिज्म सिर्फ एक ऐतिहासिक आंदोलन नहीं है, बल्कि बराबरी और न्याय के लिए एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। इतने सालों में, यह समाज की बदलती ज़रूरतों और चुनौतियों को पूरा करने के लिए विकसित हुआ है। महिलाओं के वोट देने के अधिकार की लड़ाई से लेकर सेक्सुअल हैरेसमेंट और जेंडर-बेस्ड हिंसा जैसे आजकल के मुद्दों तक, फेमिनिज्म ने महिलाओं और पुरुषों, दोनों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में काफी तरक्की की है। हालांकि, असली जेंडर इक्वालिटी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। सिस्टम में बदलाव की वकालत करते हुए, इंटरसेक्शनैलिटी को अपनाते हुए, और एक्टिविज्म के नए तरीकों से जुड़कर, फेमिनिज्म सभी के लिए एक ज़्यादा न्यायपूर्ण और बराबरी वाली दुनिया बना सकता है।

**संदर्भ सूची-**

1. अग्रवाल, बी. (1994)। ए फ़ील्ड ऑफ़ वन्स ओन: जेंडर एंड लैंड राइट्स इन साउथ एशिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. भसीन, के. (2000)। अंडरस्टैंडिंग जेंडर। काली फ़ॉर विमेन।
3. चक्रवर्ती, यू. (2003)। जेंडरिंग कास्ट: थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस। स्त्री।
4. फोर्ब्स, जी. (1996)। विमेन इन मॉडर्न इंडिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
5. हुक्स, बी. (2000)। फेमिनिज़्म इज़ फ़ॉर एवरीबडी: पैशनट पॉलिटिक्स। साउथ एंड प्रेस।
6. मेनन, एन. (2012)। सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट। ज़ुबान।
7. मोहंती, सी. टी. (2003)। फेमिनिज़्म विदाउट बॉर्डर्स: डिकॉलोनाइज़िंग थ्योरी, प्रैक्टिसिंग सॉलिडैरिटी। ड्यूक यूनिवर्सिटी प्रेस।
8. ओमवेट, जी. (1993)। रीइन्वेंटिंग रेवोल्यूशन: न्यू सोशल मूवमेंट्स एंड द सोशलिस्ट ट्रेडिशन इन इंडिया। एम. ई. शार्प।
9. राव, ए. (संपा.). (1995)। जेंडर एंड कल्चर। काली फ़ॉर विमेन।
10. रॉय, एस. (2012)। रिमेम्बरिंग रेवोल्यूशन: जेंडर, वायलेंस, एंड सब्जेक्टिविटी इन इंडियाज़ नक्सलाइट मूवमेंट। ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
11. सांगरी, के., एवं वैद, एस. (संपा.). (1989)। रीकास्टिंग विमेन: एसेज़ इन इंडियन कॉलोनियल हिस्ट्री। काली फ़ॉर विमेन।
12. सेन, एस. (2004)। टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स? द इंडियन विमेन्स मूवमेंट इन द 1990s। रूटलेज।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

13. शाह, एन. (2013)। द विमेन्स मूवमेंट इन इंडिया: अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ओरिएंट ब्लैकस्वान।
14. वाल्बी, एस. (1990)। थ्योराइज़िंग पैट्रिआर्की। बेसिल ब्लैकवेल।
15. वेबर, एल. (2001)। अंडरस्टैंडिंग रेस, क्लास, जेंडर, एंड सेक्सुअलिटी: अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। मैकग्रा-हिल।
16. वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम। (2024)। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम।
17. संयुक्त राष्ट्र। (2020)। द वर्ल्ड्स विमेन 2020: ट्रेंड्स एंड स्टैटिस्टिक्स। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग।
18. संयुक्त राष्ट्र महिला। (2024)। प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स: द जेंडर स्नैपशॉट 2024। यूएन विमेन।
19. भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। (2016)। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति 2016: प्रारूप। भारत सरकार।
20. भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। (2024)। भारत में महिला एवं पुरुष 2024। भारत सरकार।